संख्या-31/2015/3239/41-2015-357 सा0/13

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 04 मार्च,2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा के पर्यटन विकास की योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-882/6-1-1-(420)/कम्पिल/2013-14 दिनांक 09-09-2014 एवं पत्र सं0-881/6-1-1-(420)/कम्पिल/2013-14 दिनांक 09-09-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा के पर्यटन विकास की योजना के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 84.61 लाख धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 40.00 लाख की धनराशि शासनादेश सं0-2994/41-2013-357/13 दिनॉक 03-12-2013 द्वारा स्वीकृत की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-773/41-2014-357सा0/13 दिनॉक 29-03-2014 द्वारा रू0 30.00 लाख की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। इसी प्रकार प्रश्नगत योजना के द्वितीय फेज हेतु आंकलित लागत रू0 64.77 लाख के सापेक्ष्य प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-18/41-2014-357सा0/13 दिनॉक 26-02-2014 द्वारा रू0 30.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार प्रथम फेज की अवशेष धनराशि रू0 14.61 लाख एवं द्वितीय फेज की अवशेष धनराशि रू0 34.77 लाख अर्थात कुल रू0 49.38 लाख (रू0 उन्चास लाख अडतीस हजार मात्र) की धनराशि (रू0 49.37 लाख पुनर्विनियोग द्वारा एवं जनपद फर्रूखाबाद में पर्यटन विकास की योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 हजार को सम्मिलित करते हुए) स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद में से लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-25-जनपद फर्रूखाबाद में पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-आरई0-307/दस-2015 दिनॉक 27-02-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

<u>संख्या-31/2015/3239(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in